भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2025

संख्या लैज. 27/74.– दि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1974 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 5 अक्तूबर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

1974 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1974 सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, हरियाणा राज्यार्थ, को संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1974 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. धारा 20 में, ''लिखतों, या अभिकल्पनाओं के लिए स्थापित सोसाइटियां" शब्दों और चिह्न के स्थान पर, ''लिखतों या अभिकल्पनाओं के लिए अथवा लोक–हित या लोक–कल्याण के संप्रवर्तन हेतु तथा किसी अन्य लक्ष्य के लिए, जिसे सरकार लोक के लिए फायदाप्रद अधिसूचित करे, स्थापित सोसाइटियां" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1860 के अधिनियम 21 की धारा 20 का संशोधन।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12172—L.R.—H.G.P., Pkl.